GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2004/TG-I/23/P/Review/Pt. **New Delhi, dated 20.05.2014**

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 22 of 2014)

Sub: Review of Rail Travellers' Service Agents (RTSAs) Scheme.

At present Rail Travellers' Service Agents (RTSAs) are appointed as per provisions of Authorisation of RTSA Rules 1985 as amended from time to time. In 2004, a decision was taken to modify RTSA Rules with a view to ban entry of RTSAs in Computerized Passenger Reservation (PRS) centres and to allow them to book reserved tickets only through internet.

1.1 Since RTSA Rules were notified in pursuance of judgement passed by Hon'ble Supreme Court, an application was moved in Hon'ble Supreme Court seeking permission on this account.

2. After getting consent of Hon'ble Supreme Court, these rules have been amended in consultation of Ministry of Law and Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014 have been notified in the Gazette vide S.O.No.1219(E) dated 07.05.2014, a copy of which is enclosed. After notification of these Rules, now RTSAs are not authorised to book reserved tickets through computerised PRS centres.

3. IRCTC will take necessary action to appoint these RTSAs as e-ticketing agents(on approach) as per provisions of Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014 Rules and zonal Railways should issue necessary certificate to RTSA as required in Para 4 (2) of these Rules. Those RTSAs who are not interested to become e-ticketing agent of IRCTC shall cease to remain RTSA as per instructions issued vide this office letter No.2004/TG.I/23/P/Renewal dated 24.04.2006, which were issued in pursuance of a judgement passed by Hon'ble High Court Delhi dated 12.01.2006 in Writ Petition No.13761/2005 filed by M/s Kochhar Travels Pvt. Ltd.

4. The counter(s) earmarked for RTSAs, if any, should now be made available for booking by public. Necessary instructions may be issued to all concerned to ban booking of reserved tickets by RTSAs at the computerised PRS centres.

20/5/14

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) MD/IRCTC Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
3) EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway/Bhusaval, Eastern Railway/Bhuli/Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, NE Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Maula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow 226 011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D,, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2004/टीजी-I/23/पी/रिव्यू/पार्ट — नई दिल्ली, दिनांक 20.05.2014

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2014 का वाणिज्य परिपत्र सं. 22)

विषय:- रेल यात्री सेवा एजेंट (आरटीएसए) योजना की समीक्षा।

वर्तमान में रेल यात्री सेवा एजेंटों (आरटीएसए) की नियुक्ति आरटीएसए नियम, 1985 के प्राधिकार के प्रावधानों और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार की जाती है। 2004 में, कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण (पीआरएस) केन्द्रों में आरटीएसए में प्रवेश पर रोक लगाने और उन्हें आरक्षित टिकटों की बुकिंग केवल इंटरनेट से करने की अनुमति देने के लिए आरटीएसए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

1.1 चूँकि आरटीएसए नियमों में संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में अधिसूचित किए गए थे, अतः इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया गया।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त करने के बाद, इन नियमों में विधि मंत्रालय के परामर्श से संशोधन किया गया है और दिनांक 07.05.2014 के एस. ओ. सं. 1219(ई) के तहत राजपत्र में रेल यात्री सेवा एजेंट नियम, 2014 के प्राधिकार अधिसूचित किए गए हैं, जो इसके साथ संलग्न है। इन नियमों को अधिसूचित करने के बाद, अब आरटीएसए कम्प्यूटरीकृत पीआरएस केन्द्र के माध्यम से आरक्षित टिकटें बुक करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

3. आईआरसीटीसी द्वारा रेल यात्री सेवा एजेंटों को रेल यात्री सेवा एजेंट नियम, 2014 के प्राधिकार के प्रावधानों के अनुसार, ई-टिकटिंग एजेंटों के रूप में नियुक्त करने (संपर्क करने पर) के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेल यात्री सेवा एजेंटों को इन नियमों के पैरा 4(2) में यथा अपेक्षित आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। वे आरटीएसए जो आईआरसीटीसी के ई-टिकटिंग एजेंट बनने के इच्छुक नहीं हैं, को इस कार्यालय के दिनांक 24.04.2006 के पत्र सं. 2004/टीजी.I/23/पी/रिन्युअल के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार आरटीएसए नहीं रहने दिया जाएगा, जिसे मैसर्स कोचर ट्रैवल्स प्रा. लि. द्वारा दायर रिट याचिका सं. 13761/2005 में दिनांक 12.01.2006 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किया गया था।

4. आरटीएसए के लिए निर्धारित काउन्टर, यदि कोई हो, को अब जनता द्वारा बुकिंग करने के लिए उपलब्ध कराया जाए। कम्प्यूटरीकृत पीआरएस केन्द्रों पर आरटीएसए द्वारा आरक्षित टिकटों की बुकिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

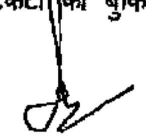

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1011] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936
No. 1011] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

का.आ. 1219(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है; निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं — इन नियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अभिकर्ता" से इंटरनेट के माध्यम से आरक्षित रेल टिकटों को बुक करने के लिए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियम 5 के अधीन कोई प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसे व्यक्ति का कोई कर्मचारी भी सम्मिलित होगा ;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से इन नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड का कोई समूह महाप्रबंधक (इंटरनेट टिकटिंग) या ऐसे समूह महाप्रबंधक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुज्ञप्ति" से नियम 5 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) "अवस्थिति" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आरक्षित रेल टिकटों की बुकिंग के लिए कोई अभिकर्ता नियुक्त किया गया है ।

3. अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए शर्तें — (1) कोई व्यक्ति किसी अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति के जारी होने के लिए आवेदन कर सकेगा.

(i) नवीनतम आयकर विवरणी और विधिमान्य स्थायी लेखा संख्या कार्ड रखता है ;

(ii) जिसने इंटरनेट सुविधा और शहर की आधारिक सुविधाजनक और सुख-सुविधाओं के साथ अवसंरचना को समुचित रूप से बनाए रखा है जिससे कि ग्राहक आने के लिए समायोजित हो सकें ;

(iii) किसी नैतिक अधमता वाले दांडिक मामले में सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है ;

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन प्रमाणन अभिकरणों के नियंत्रक द्वारा नियुक्त किसी प्रमाणन अभिकरण द्वारा इसके प्राधिकृत उपयोक्ताओं के लिए जारी वर्ग-3 वैयक्तिक अंकीय प्रमाणपत्र रखता हो (केवल एक प्राधिकृत उपयोक्ता अनुज्ञात किया जाएगा),

(2) आवेदक एक मुश्त बीस हजार रुपये की फीस और सेवा कर जो समय -समय पर लागू हो, के साथ भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड की वैबसाइट पर उपलब्ध आन लाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करेगा ।

(3) यदि कोई आवेदक, उपनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ फीस जमा करने में असफल रहता है तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(4) नियम 9 के उपबंधों के अधीन, कोई अभिकर्ता जो स्वेच्छा से अभिकर्ता के रूप में कार्य जारी नहीं रखने का विनिश्चय करता है तो उसे उप नियम (2) में निर्दिष्ट बीस हजार रुपये की रकम से ब्याज के बिना दस हजार रुपये की रकम का प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

(5) प्रत्येक अवस्थिति के लिए, अभिकर्ताओं की संख्या ऐसी होगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित हो सके ।

4. विद्यमान अभिकर्ताओं द्वारा नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना —

(1) कोई व्यक्ति जो समय-समय पर यथासंशोधित रेल यात्री सेवा अभिकर्ता नियम, 1985 के अधीन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति कब्जे में रखता है, वह इन नियमों के प्रवृत्त होने के सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर नई अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा ।

(2) नियम 3 की अपेक्षाओं के अतिरिक्त, उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ संबद्ध आंचलिक रेल द्वारा इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि आवेदक एक विद्यमान अभिकर्ता है जिसे इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थीं, भी साथ होगा ;

परंतु विद्यमान अभिकर्ता द्वारा संदत्त अनुज्ञप्ति फीस, नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित फीस के मद्दे समायोजित की जाएगी ।

5. अनुज्ञप्ति का जारी होना - (1) किसी अभिकर्ता के रूप में कार्य करने और आन लाइन एकीकरण प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के लिए कोई आवेदन प्ररूप 1 में सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा ।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई है; जो वह आवश्यक समझे, अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने वाला प्ररूप 3 में एक करार के निष्पादन के पश्चात् प्ररूप 2 में कोई अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा या लिखित में कारण लेखबद्ध करके अनुज्ञप्ति जारी होने से इंकार कर सकेगा ।

6. अनुज्ञप्ति के जारी होने के लिए शर्तें- (1) नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति का जारी होना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(i) अनुज्ञप्ति, इसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ;

(ii) अनुज्ञप्ति अनंतरणनीय होगी ;

परंतु किसी अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की अपर्यवसित अवधि के लिए लिखित में किए गए अनुरोध पर उसके विधिक वारिस को अंतरित की जा सकेगी और विधिक वारिस नियम 8 के उपबंधों के अनुसार उक्त अनुज्ञप्ति के पुनःनवीकरण के लिए आवेदन किए जाने का पात्र होगा ।

(iii) अभिकर्ता कारबार का संचालन या तो स्वयं करेगा या इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अपने कर्मचारी के माध्यम से करेगा ;

(iv) अभिकर्ता द्वितीय और शयन श्रेणियों से भिन्न अन्य श्रेणियों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रभारों के रूप में बीस रुपये प्रति टिकट से अनधिक और द्वितीय तथा शयन श्रेणी के लिए दस रुपये प्रति टिकट से अधिक नहीं वसूलेगा ।

(v) अनुज्ञप्ति और सेवा प्रभार अभिकर्ता कारबार के सदृश्य स्थान पर दर्शित किए जाएंगे ;

(vi) अभिकर्ता टिकट की बुकिंग करते समय यात्री का मोबाइल नंबर रखेगा और प्रणाली, टिकट की व्यापक विशिष्टियां और प्रभारित रकम उपदर्शित करते हुए एक संदेश भेजेगी और यदि यात्री के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो ऐसे अभिकर्ता द्वारा अनुमोदित इलैक्ट्रानिक आरक्षण स्लिप का प्रिंट लिया जाएगा और उसे वह यात्री को दे देगा ;

(vii) अभिकर्ता द्वारा टिकट की बुकिंग और आरक्षण सुनिश्चित करना उसके ग्राहक से लिखित अनुरोध पर किया जाएगा और यदि अभिकर्ता टेलीफोन काल पर कार्य करता है तो ग्राहक को इलैक्ट्रानिक आरक्षण स्लिप के परिदान से पूर्व ग्राहक से उसकी लिखित अनुरोध अभिप्राप्त करेगा ;

(viii) ग्राहक का नाम, लिंग, आयु, पता और टिकट नं0 के साथ यात्रा विशिष्टियाँ दर्शित करते हुए एक रजिस्टर अभिकर्ता द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ;

(ix) रेल परिसर के भीतर और रेल आरक्षण कार्यालय से सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी अभिकर्ता या उसके निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा बुकिंग और आरक्षण के लिए कोई अनुयाचन नहीं होगा और अभिकर्ता या उसके निमित्त कोई व्यक्ति उनके ग्राहकों के लिए रेल आरक्षण पटलों पर टिकटों को बुक नहीं करेगा ;

(x) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अभिकर्ता, जो निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक सहायता देगा, कार्य घंटों के दौरान किसी समय परिसर और अभिलेखों तक पहुंच रखना अनुज्ञात करेगा ; और

(xi) सक्षम प्राधिकारी, इन नियमों की विरचना के भीतर साधारण कार्य दशाओं को शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा ।

(2) अभिकर्ता, भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड की वैब साइट पर उपलब्ध आन लाइन संदाय के लिए विकल्पों में से किसी एक को चुनेगा ।

7. अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण— इन नियमों के अधीन किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी किसी समय पर इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के पूरा न किए जाने पर या किन्हीं ऐसे कारणों से जो सक्षम प्राधिकारी को लोक हित समीचीन प्रतीत होते हों उसके अतिक्रमण के लिए सम्यक सूचना देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को किसी भी समय निलंबित या रद्द कर सकेगा और अनुज्ञप्ति के निलंबन की दशा में अभिकर्ता की लाग इन पहचान को निष्क्रिय कर दिया जाएगा :

परंतु इस नियम के अधीन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक अभिकर्ता को सुने जाने का अवसर न प्रदान किया गया हो ।

(2) इन नियमों के किसी उल्लंघन पर वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, अभिकर्ता को काली सूची में डाला जा सकेगा और वह रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के उपबंधों के अधीन दंड के लिए दायी होगा ।

8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण — अनुज्ञप्ति तब तक जब तक सक्षम प्राधिकारी कारण लेखबद्ध करके अन्यथा विनिश्चित करता है, पांच हजार रुपये की वार्षिक नवीकरण फीस और यथा लागू सेवाकर के संदाय पर किसी समय एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकेगा और नियम 5 के उपबंध अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए लागू होंगे जैसे कि वे उनकी मंजूरी के लिए लागू होते हैं ।

9. निक्षेप की उपयोगिता — जहां अभिकर्ता अपने ग्राहक के लिए सेवा का निष्पादन करने में असफल रहता है और उसके द्वारा प्रभारित रकम का प्रतिदाय करने के लिए इंकार करता है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के अधीन की गई अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त अभिकर्ता द्वारा उसके ग्राहकों से प्रभारित रकम के प्रतिदाय के लिए नियम 3 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट दस हजार रुपये की रकम का उपयोग करेगा ।

10. अपील — (1) इन नियमों के अधीन किए गए सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील उस तारीख से जिसको अपील के विरुद्ध आदेश अपीलार्थी को सूचित किया जाता है, तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी ।

11. रेल का दायित्व — रेल प्रशासन या भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड किसी कार्य या लोप के कारण ग्राहक को हुई या होनी संभावित किसी हानि या नुकसान के लिए दायी नहीं होगा ।

[फा. सं. 2004/टीजी-1/23/पी/पुनर्विलोकन(भाग)]

ए. मधुकुमार रेड्डी, कार्यकारी निदेशक यात्रा विपणन, रेलवे बोर्ड

प्रुप 1

[नियम 5(1) देखें]

www.irctc.co.in के माध्यम से अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के लिए अभिकर्ताओं द्वारा भरे जाने के लिए आवेदन (हार्ड प्रति और साफ्ट प्रति में प्रस्तुत किया जाए) *आज्ञापक	
व्यष्टिक/फर्म/कंपनी का नाम*	
वह व्यक्ति जो फर्म/कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा है	
प्रथम नाम*	
मध्य नाम	
अंतिम नाम*	
जन्म की तारीख*	
कार्यालय का पता*	
शहर*	
राज्य*	
पिन कोड*	
देश*	
फोन नं*	
मोबाइल नं0	
फैक्स नं0	
ई मेल आई डी*	
संविदा आरंभ होने की तारीख*	
संविदा की समाप्ति की तारीख*	
मांग ड्राफ्ट संख्या	
जारी किए जाने की तारीख	
बैंक पर आहरित	
उपयोक्ता का नाम जो अंकीय प्रमाणपत्र में है*	
प्रमाणन प्राधिकारी का नाम*	
अंकीय प्रमाणपत्र क्रमांक संख्यांक*	

स्थान :

तारीख :

आवेदक/फर्म/कंपनी का प्रतिनिधित्व कर
रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रुप 2

[नियम 5(2) देखिए]

रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (आरटीएसए) के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति

संख्या.................. जारी किए जाने की तारीख...................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मैसर्स .... जो .... में अवस्थित है .... द्वारा स्वामित्व में है जिनका संपर्क नं. .... ईमेल .... है, को आईआरसीटीसी के निबंधनों और शर्तों के माध्यम से आरक्षित रेल टिकटों को बुक करने के लिए .... से .... तक साधारण जनता के लिए आईआरसीटीसी वैबसाइट www.irctc.co.in के माध्यम से प्रयोग करने के लिए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता नियम 2014 के प्राधिकार के अधीन रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (आरटीएसए) के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

समूह महाप्रबंधक/आईटी आईआरसीटीसी की ओर से

प्ररूप 3

(नियम 5 (2) देखें)

आरटीएसए की हस्ताक्षरित फोटो या हस्ताक्षरकर्ता के नाम के साथ आरटीएसए के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिल्ली से 100 रुपये में क्रय किए गए स्टांप पेपर पर रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (आरटीएसए) या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (करार के हस्ताक्षर के लिए उसकी प्रास्थिति या प्राधिकार विनिर्दिष्ट किया जाए) द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए करार ।

1. यह करार भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नवां तल, बैंक आफ बड़ौदा भवन, 16 संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 है और समूह महाप्रबंधक/इंटरनेट टिकटिंग भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और जिसके अंतर्गत जहां संदर्भ ऐसा अपेक्षित करे उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, के माध्यम से इसका एक कार्यालय इंटरनेट टिकटिंग सेंटर स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली 110055, है के बीच नई दिल्ली में आज तारीख ....20.........को किया गया है ।

और

श्री/श्रीमती/मैसर्स...(नाम और पदनाम)..................................के माध्यम से जिसका कार्यालय.................है (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) जिसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती विधिक प्रतिनिधि समनुदेशिति भी हैं ।

2. ....से... ....तक प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए आईआरसीटीसी वैबसाइट के माध्यम से आरक्षित रेल टिकटों की बुकिंग के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी देते हुए आईआरसीटीसी के प्रतिफल में यह करार किया गया है ।

द्वितीय पक्षकार..निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के साथ रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (आरटीएसए) के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है ।

1. शासी उपबंध

भारतीय रेल पर्यटन खानपान निगम इंटरनेट के माध्यम से भारतीय रेल की कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के साथ संव्यवहार के लिए सुविधा प्रदान करेगी ।

टिकटों के आरक्षण और बुकिंग के लिए भारतीय रेल के अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत समय-समय पर इन्टरनेट आधारित बुकिंग के लिए अधिरोपित विशेष शर्तों सहित ऐसे सभी संव्यवहारों को लागू होंगे । इन्टरनेट बुकिंग को लागू सेवा की विशेष शर्तें और निबंधन के ब्यौरे इस करार में दिए गए हैं ।

1.1 इस करार का भारतीय रेल खानपान और पर्यटन द्वारा पालन तत्समय प्रवृत्त विधियों के अध्यधीन है और इस करार में अंतर्विष्ट कोई बात विधि प्रवर्तन संबंधी अनुदेशों या रेल यात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा इस वेबसाइट के प्रयोग से संबंधित अपेक्षाओं या ग्राहकों सहित ऐसे प्रयोग के संबंध में रेल यात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई या भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम द्वारा एकत्रित जानकारी का अनुपालन करने के लिए भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के अधिकार के अल्पीकरण में नहीं होगी । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम विनियामकों या पुलिस को या किसी अन्य तृतीय पक्षकार को विवादों या परिवादों के समाधान के लिए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा वेबसाइट के उपयोग के ब्यौरे उपलब्ध करा सकेगा ।

1.2 यदि भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम और रेल यात्री सेवा अभिकर्ता के बीच करार का कोई भाग तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय होना अवधारित किया जाता है जिसके अंतर्गत इसमें उपवर्णित वारन्टी दायित्व दावा त्याग और परिसीमाएं भी हैं, किन्तु जो इन तक सीमित नहीं हैं, तब अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय उपबंध अधिक्रांत किए हुए समझे जाएंगे और करार का शेष भाग प्रभावी बना रहेगा ।

1907 GI/14-2

1.3 यह करार रेलयात्री सेवा अभिकर्ता और भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के बीच संपूर्ण करार का गठन करता है और यह रेलयात्री सेवा अभिकर्ता तथा भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के बीच सभी पूर्वतर या समकालीन संसूचनाओं तथा प्रस्तावों, चाहे वे इलैक्ट्रानिक, मौखिक या लिखित हों, को अधिक्रांत करता है ।

1.4 भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की वेबसाइट के माध्यम से टिकटों के बुकिंग पर लागू सेवा के निबंधन और शर्तें रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के लॉग-इन द्वारा बुक की गई टिकटें आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी ।

1.5 रेलयात्री सेवा अभिकर्ता टिकटों को बुक करने के लिए भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की वेबसाइट का प्रयोग करने के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा । रेलयात्री सेवा अभिकर्ता भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम को बीस हजार रुपए की मुश्त फीस का संदाय करेगा जिसमें से दस हजार रुपयों का प्रतिदाय होगा । यदि रेलयात्री सेवा अभिकर्ता, भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के साथ हुए ठहराव से स्वेच्छापूर्वक हट जाता है । अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक नवीकरणीय प्रभार पांच हजार रुपए होंगे ।

2. सेवा का मानक तथा क्षेत्र- भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम पर्यटन निगम सभी अन्य जोखिमों या त्रुटि और दायित्व के अधीन रहते हुए, युक्तियुक्त सावधानी और कौशल सहित रेलयात्री सेवा अभिकर्ता को सेवा का प्रदाय करेगा, परिसीमा खंड प्रभावी बने रहेंगे ।

2.1 भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम ऐसी कोई गारन्टी नहीं देता है कि कोई सेवा निरन्तर, समय पर उपलब्ध या त्रुटि रहित होगी ।

3. रेलयात्री सेवा अभिकर्ता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने प्राधिकृत उपयोक्ताओं के लिए किसी भारतीय प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी वर्ग तीन वैयक्तिक अंकीय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करे, (केवल एक ही प्राधिकृत उपयोक्ता को प्राधिकृत किया जाएगा) ।

3.1 रेलयात्री सेवा अभिकर्ता लॉगइन करेगा तो भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम का आवेदन अंकीय प्रमाणपत्र को अधिप्रमाणित करेगा और यदि प्राधिकृत किया जाता है तो प्रसामान्य उपयोक्ताओं को यथा लागू टिकटों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लागू किए बिना उसे बुक करने के लिए अनुज्ञात करेगा ।

4. रेलयात्री सेवा अभिकर्ता और उनके ग्राहक की बाध्यताएं

4.1 साधारण बाध्यताएं- रेलयात्री सेवा अभिकर्ता विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही वेबसाइट तक पहुंचेगा और भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की वेबसाइट के प्रयोग के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधियों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा । रेलयात्री सेवा अभिकर्ता इस वेबसाइट से प्राप्त किसी भी जानकारी, उत्पाद या सेवा को उपांतरित, उसकी नकल, उसे वितरित, उसे पारेषित, संप्रदर्शित नहीं करेगा, उसे निष्पादित, प्रत्युत्पादित, प्रकाशित, अनुज्ञप्त, व्युत्पन्नकारी कृतियों के रूप में सृजित या उसे अंतरित या उसका विक्रय नहीं करेगा । रेलयात्री सेवा अभिकर्ता वेबसाइट के हाइपर टैक्स्ट या वेबसाइट की विरचना भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के पूर्व लिखित अनुमति से ही करेगा अन्यथा नहीं ।

4.2 रजिस्ट्रीकरण पृष्ठ में रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई सूचना संपूर्ण और सही होनी चाहिए । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम ऐसी किसी भी सूचना को सभी समयों पर प्रकट करने का अधिकार आरक्षित रखता है जो भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, विधिक कार्यवाही या शासकीय अनुरोध का पालन करने के लिए आवश्यक समझे ।

4.3 सामान्य प्रवाह के अनुसार रेलयात्री सेवा अभिकर्ता टिकटों को बुक करेगा और "तत्काल आई टिकट" के मामले ग्राहक (टिकट पर यात्रियों में से एक यात्री) द्वारा वांछित गंतव्य पता या "तत्काल ई-टिकट" की दशा में किसी यात्री के पहचान पत्र के ब्यौरे देगा । "आई-टिकट" ग्राहक द्वारा वांछित पते और टिकट बुक कराते समय रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा दिए गए परिदान पते परिदत्त किया जाएगा । रेलयात्री सेवा अभिकर्ता ग्राहक से उसके द्वारा प्राप्त किए गए धन के बदले रसीद अपनी ही मुद्रित लेखन सामग्री पर जारी करेगा । सेवा प्रभार और सेवा कर, जो लागू हो, रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा जारी रसीद में पृथकतः दर्शाए जाएंगे । यह रसीद रेलयात्री सेवा अभिकर्ता से प्रतिदाय का दावा करने के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिरक्षित की जाएगी, यदि यह आवश्यक हो जाता है ।

जब टिकटें रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा दिए गए गंतव्य पते पर परिदत्त कर दी गई हों, तो भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम किसी उत्तरदायित्व से मुक्त होगा । यदि पता गलत या अपूर्ण है या किसी अन्य कारणवश टिकट अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाता है तो यह उत्तरदायित्व रेलयात्री सेवा अभिकर्ता का होगा ।

4.4 रेलयात्री सेवा अभिकर्ता की ओर से यह बाध्यता होगी कि वह अपने ग्राहकों पर वैसी ही प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें अधिरोपित करे जैसी भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम अपनी वेबसाइट पर अपने ग्राहकों के साथ अनुसरित

करता है सिवाय इसके कि प्रसामान्य उपभोक्ताओं को यथा लागू रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा बुक की गई टिकटों की संख्या पर कोई निर्बंधन नही होगा ।

4.5 आनलाइन टिकट बुक करने के लिए भारतीय रेल खान पान पर्यटन निगम को रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा संदाय भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करते हुए क्रेडिट कार्ड इन्टरनेट बैंकिंग सीधे डेबिट, कैश कार्ड आदि द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा ।

4.6 यदि रेलयात्री सेवा अभिकर्ता अत्यधिक प्रभार संग्रहण, टिकटों पर किराए का परिवर्तन, अनुलिपि टिकट आदि का जारी किए जाने जैसी किसी विधिविरुद्ध क्रिया कलाप (किंतु इस तक निर्बंधित नही है) में संलिप्त होता है तो रेलयात्री सेवा अभिकर्ता तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाई के अतिरिक्त रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन दांडिक कार्यवाही के लिए दायी होगा ।

4.7 दावा त्याग: भारतीय रेल और भारतीय रेल खान पान पर्यटन निगम रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत गलत ब्यौरे या ब्यौरे के कारण गलत बुकिंग के लिए उत्तरदायी नहीं हैं ।

5. टिकटों का रद्द करना या प्रतिदाय या उपांतरण

5.1 पटलों के माध्यम से ग्राहकों द्वारा रद्द किए गए आई- टिकटों के लिए देय राशि आंन लाइन बुकिंग के लिए प्रयोग किए गए खाते में वापस जमा करा दी जाएगी । रेलयात्री सेवा अभि ग्राहकों को प्रतिदाय के लिए जिम्मेदार होगा । पटलों से ग्राहकों को जारी किए गए रद्द टिकट रेलयात्री सेवा अभिकर्ता से प्रतिदाय का दावा करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे । इस संबंध में अननुपालन के लिए, रेलयात्री सेवा अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।

5.2 उन मामलों के लिए, जहां आई टिकटें रद्दकरण समय के समापन के पश्चात स्टेशनों पर ग्राहकों द्वारा अभ्यर्पित कर दी जाती है और टिकट निक्षेप प्राप्ति (टी डी आर) अभिप्राप्त वहां कर लिया जाता है, ग्राहक को टिकट निक्षेप प्राप्ति (टी डी आर) सहित भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के प्रतिदाय के लिए आवेदन करना होगा। भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम बाद में संबंद्ध आंचलिक रेल के साथ इस विषय पर कार्यवाही करेगी ।

5.3. रेलयात्री सेवा अभिकर्ता ऐसे ग्राहक को, शोध्य रकम का प्रतिदाय करने के लिए कर्त्तव्य आबद्ध है जिसने रेलयात्री सेवा अभिकर्ता को संदाय करने के पश्चात टिकट बुक कराई थी और बाद में उस रद्द कराया था ।

5.4 यदि रेलयात्री सेवा अभिकर्ता ग्राहक को शोध्य रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी । यह ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रेलयात्री सेवा अभिकर्ता दायी होगा ।

6. संविदा संबंध :

रेलयात्री सेवा अभिकर्ता इस स्पष्ट बोध के साथ भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के साथ अपने ग्राहको के लिए टिकट बुक करेगा ।

6.1 बुकिंग, रद्द करण के विषय में या टिकटों की किसी बुकिंग के लिए किसी संदाय या प्रतिदाय के संबंध में भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम या भारतीय रेल की रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के ग्राहक के साथ कोई संविदा संबंध नही होगा ।

6.2 रेलयात्री सेवा अभिकर्ता का ग्राहक अपने सभी दावे, वे किसी भी प्रकार के हो केवल रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के विरुद्ध करेगा न कि भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम या रेल के विरुद्ध।

6.3. रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा बुक किए गए टिकटों की बाबत भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम या भारतीय रेल का, टिकटों के रद्दकरण पर शोध्य प्रसामान्य प्रतिदाय के सिवाय, कोई अतिरिक्त या आपवादिक दायित्व नहीं होगा।

7. दायित्व :

7.1 दायित्व की परिसीमा : इस करार में अभिव्यक्त रुप से उपबंधित के सिवाय भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के प्रति दायी नहीं होगा, आन लाइन बुकिंग या वेबसाइट के संबंध में प्रयोग के कारण उत्पन्न कोई अन्य बाध्यताएं, कर्त्तव्य या दायित्व दे संविदा जो भी हो, अपकृत्य या अन्यथा नहीं रखेगा । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सभी विवक्षित, वारन्टियों, निबंधनों तथा शर्तों सहित इस सूचना, उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में सभी वारन्टियों, निबंधनों तथा शर्तों जो सांपर्श्विक रुप से और अन्यथा सन्तोष जनक क्वालिटी या उपयुक्तता की है का दावा त्याग करता है और किसी भी दशा में, भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम लाभ-हानि, राजस्व हानि नष्ट समय, नष्ट लागत, वेबसाइटस या अन्यथा को माध्यम से आनलाइन बुकिंग सुविधा के प्रयोग भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के आनलाइन बुकिंग सुविधा के प्रयोग करने में विलंब या असमर्थता के कारण उत्पन्न या उससे किसी भी रुप में संबद्ध अप्रत्यक्ष, आनुषंगिक, विशेष या पारिणामिक हानि के लिए किसी जानकारी, उत्पाद तथा सेवा चाहे, वह संविदा, अपकृत्य कड़ाई दायित्व या अन्यथा पर आधारित हो या नहीं, के लिए दायी नहीं होगा ।

7.2 जानकारी की शुद्धता : भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम, ऑनलाइन या भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित जानकारी की शुद्धता की जांच करने के प्रयास करेगा । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम अपनी वेबसाइट पर दी गई ऐसी जानकारी के शुद्धता के बारे में कोई वारन्टी नहीं देता है और बिना किसी सूचना के समय समय पर अपनी वेबसाइट की अन्तर्वस्तु में संशोधन करने या उसमें फेरफार करने का अधिकार आरक्षित करता है । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की साइट या उसकी सेवाएं अन्य पक्षकार वेबसाइट (सहबद्ध साइट) के लिंक अन्तर्विष्ट होंगे । सहबद्ध साइट भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के नियंत्रणाधीन नहीं है और भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम किन्ही संबद्ध साइटों, जिनमें परिसीमा रहित किसी सहबद्ध साइट में अन्तर्विष्ट कोई लिंक या किसी संबद्ध साइट में कोई परिवर्तन या अद्यतन कार्रवाई भी है, की अन्तर्वस्तु के लिए दायी नहीं होगा। भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम वेबकास्टिंग या किसी संबद्ध साइट से प्राप्त पारेषण के किसी अन्य रुप के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम तब जिम्मेदार है जब संबद्ध साइट समुचित रुप से कार्य न कर रही हो । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम इन लिंको को केवल एक सुविधा के रुप में उपलब्ध करा रहा है; और किसी लिंक का सम्मिलित किए जाने का अभिप्राय साइट के भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम स्वंय या उसके प्रचालकों के साथ किसी संगम द्वारा पृष्ठांकन नहीं है । रेल यात्री सेवा अभिकर्ता संबंद्ध साइटों पर डाले गए निजता विवरणों तथा निबंधनों को देखने तथा उनका पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं ।

7.3 अन्य पक्षकारों के साथ रेल यात्री सेवा अभिकर्ता को कोई संव्यवहार जिसके अन्तर्गत भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के वेबसाइट पर विज्ञापनकर्ता, विज्ञापित उत्पादों तथा सेवाओं केलिए परिदान तथा संदाय सहित संवर्धनों में भाग लेना, तथा ऐसे व्यौहारों या संवर्धनों से सहयुक्त किसी अन्य निबंधन, शर्त वारन्टी या अभ्यावेदन भी है, अनन्य रुप से रेल यात्री सेवा अभिकर्ता और विज्ञापनकर्ता या अन्य पक्षकार के बीच होगा । किसी ऐसे व्यौहारों या संवर्धनों केलिए भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम जिम्मेदार या दायी नहीं होगा ।

7.4. अधिकतम दायित्व : वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग से उत्पन्न होने वाली सभी हानि या नुकसान के लिए रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के प्रति भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम दायित्व की अधिकतम रकम और सेवा चाहे वह संविदा या अपकृत्य रकम और सेवा चाहे वह संविदा या अपकृत्य (जिसके अंतर्गत वेबसाइट तथा इस सेवा के उपबंध में भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की बाध्यताओं के कारण या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले उपेक्षा के लिए कोई दायित्व भी सम्मिलित है) में हो इस सेवा के उपयोग के माध्यम से क्रय किए गए टिकट के मूल्य तक सीमित होगी ।

7.5. **दायित्व का अपवर्जन :** भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम, वेबसाइट और सेवा के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित प्रकारों की हानि या नुकसान में से किसी प्रकार के हानि या नुकसान के लिए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता के प्रति दायी नहीं होगा चाहे वह संविदा या अपकृत्य (जिसके अंतर्गत वेबसाइट या इस सेवा के उपबंध में भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की बाध्यताओं के पालन के कारण या उनके संबंध में होने वाली उपेक्षा के लिए कोई दायित्व सम्मिलित है) में हो :-

(1) राजस्व की हानि कारबार, प्रत्याशित बचत या लाभ ; या
(2) तथापि, उत्पन्न होने वाली कोई अप्रत्यक्ष या पारिणामिक हानि ।

7.6. **अन्य वारंटियों या उपचारों का अपवर्जन :** रेलयात्री सेवा अभिकर्ता यह अभिस्वीकृत करता है और सहमत है कि इस करार के किए जाने पर, किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी कथन, अभ्यावेदन या वारंटी (जिसमें शर्त, क्वालिटी और उपयुक्तता भी है) पर वह विश्वास नहीं करता है और उसकी बाबत उसके पास कोई उपचार नहीं होगा । सेवा के मानक के बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विवक्षित सभी वारंटी प्रथा या अन्यथा और कि भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध किसी सूचना (कपटपूर्ण दुर्व्यपदेशन से भिन्न) की शुद्धता को अपवर्जित किया जाता है ।

7.7 **अपरिहार्य घटना :** भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम इन निबंधनों और शर्तों के पालन में किसी विलंब या भारतीय रेल खानपान के नियंत्रण से परे किसी घटना या परिस्थिति के कारण इन निबंधनों और शर्तों के पालन में विलंब या भंग के संबंध में दायी नहीं होगा ।

8. **सेवा घंटे :** इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग रविवारों को सम्मिलित करके सभी दिवसों को 0030 बजे से 2330 बजे (भारतीय मानक समय) तक अनुज्ञात किया जाता है । सेवा घंटों में पूर्व सूचना दिए बिना परिवर्तन किया जा सकता है । अभिकर्ता के बुकिंग घंटे रेल मंत्रालय के आदेशों के अनुसार हैं ।

8.1. **आरंभिक दिवस(स) की बुकिंग** (अग्रिम रूप से........दिन जिसमें यात्रा की तारीख अपवर्जित है) इंटरनेट पर और साथ ही कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) पटलों पर केवल.......... बजे से उपलब्ध होगी । यदि आरंभिक दिवस टिकटों के लिए रेलयात्री सेवा अभिकर्ता.........बजे से पूर्व बुकिंग का प्रयास करता है, आरक्षण विफल हो जाएगा तथा रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के खाते से विकलन हो जाएगा ; भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम संपूर्ण किराए और भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के सेवा प्रभार को वापस लौटाएगा किंतु बैंक या कार्ड संव्यवहार संबद्ध बैंक द्वारा प्रभारित किए जा सकेंगे ।

8.2. **आरंभिक दिवस (स)से–** रेलगाड़ी के चलने के मूल स्टेशन से यात्रा की तारीख(यात्रा की तारीख को सम्मिलित नहीं किया जाए) से...........दिन पूर्व अभिप्रेत है । कुछ इंटरसिटी दिन की रेलगाड़ियों की दशा में, अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) ....दिनों से कम है । तत्काल बुकिंग के लिए आरंभिक दिवस समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए यात्रा की तारीख से..........दिवस पूर्व अभिप्रेत है ।

9. **साधारण उपबंध**

9.1 यह करार और भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के रेलयात्री सेवा अभिकर्ता का प्रयोग तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा शासित किया जाएगा । रेलयात्री सेवा अभिकर्ता भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की साइटों या सेवाओं के उपयोग के कारण या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों में केवल दिल्ली में न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता और स्थान के लिए अप्रतिसंहरणीय रूप से सम्मति देता है । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम की साइटों या सेवाओं का उपयोग ऐसी किसी अधिकारिता में अप्राधिकृत है जो इन निबंधनों और शर्तों के सभी उपबंधों को प्रभावी नहीं बनाती है ।

9.2 संपूर्ण करार : यह करार जिसमें इसमें निर्दिष्ट कोई दस्तावेज भी है, इस सेवा के रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के उपयोग की बाबत इस करार के पक्षकारों के बीच संपूर्ण करार गठित करता है ।

9.3 अन्य पक्षकार के अधिकार : इस करार की कोई बात, अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से किसी अधिकार को प्रदान करने के रूप में नहीं मानी जाएगी चाहे वह इस करार के पक्षकारों से भिन्न व्यक्तियों के प्रति संविदात्मक या कानूनी हो ।

1907 GI/14-3

9.4 भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 80 की प्रकृति में साठ दिन की सूचना दिए बिना किसी न्यायालय या अधिकरण में रेलयात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

9.5 किसी विवाद की दशा में, रेलयात्री सेवा अभिकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पहले रेल यात्री सेवा अभिकर्ता या भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने के पश्चात् भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के महाप्रबंधक से अन्यून पंक्ति के किसी एकमात्र मध्यस्थ की माध्यस्थम् को प्रस्तुत करें । मध्यस्थ का विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । माध्यस्थम् की भाषा अंग्रेजी होगी और माध्यस्थम् का स्थान दिल्ली ही होगा ।

9.6 यदि रेलयात्री सेवा अभिकर्ता का कोई ग्राहक भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम के विरुद्ध कोई कार्यवाहियां संस्थित करता है तो रेल यात्री सेवा अभिकर्ता, कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा करने के खर्च सहित भारतीय रेल खानपान को प्रोद्भूत होने वाली सभी हानि की प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा ।

9.7. रेल यात्री सेवा अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति के समाप्त हो जाने पर, रेल यात्री सेवा अभिकर्ता तक प्रदान की गई पहुंच भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम द्वारा तब तक निष्क्रिय की जाएगी जब तक अनुज्ञप्ति को भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम द्वारा नवीकरण नहीं कर दिया जाता है ।

9.8 प्रत्येक टिकट के लिए ग्राहक पर उद्गृहीत किए जाने वाले अधिकतम प्रभारों की सारणी नीचे दी गई है । ये प्रभार भारतीय रेल द्वारा नियत किए गए अनुसार हैं और किसी समय बिंदु पर सूचना दिए बिना इनमें परिवर्तन किए जाने के लिए दायी है ।

सारणी

भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम सेवा प्रभार		अभिकर्ता सेवा प्रभार (सेवा कर सहित)		कुल (भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम + अभिकर्ता)	
द्वितीय और शयन यान श्रेणी	द्वितीय और शयन यान श्रेणी से भिन्न	द्वितीय और शयन यान श्रेणी	द्वितीय और शयन यान श्रेणी से भिन्न	द्वितीय और शयन यान श्रेणी	द्वितीय और शयन यान श्रेणी से भिन्न
10/- रु0	20/- रु0	10/- रु0	20/- रु0	20/- रु0	40/- रु0

उपरोक्त प्रभारों में सेवा कर भी सम्मिलित है । यथालागू सेवा कर रेल यात्री सेवा अभिकर्ता द्वारा जारी की रसीद में पृथकतः दर्शित किया जाएगा ।

10. रेल गाड़ियों के रद्दकरण के लिए दायित्व का अपवर्जनः रेल गाड़ियों के रद्दकरण या विपथन या गंतव्य स्थान का अल्पपर्यवसान की दशा में, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन बनाए गए नियम, जिनमें दोनों में से किसी गाड़ी के विलंब या विपथन या गंतव्य का अल्पपर्यवसान या रद्दकरण द्वारा कारित हानि या नुकसान की बाबत ग्राहकों को भारतीय रेल के दायित्व से संबंधित सीमाएं या अपवर्जन, रेल का कोई गलत संयोजन या बंद किया जाना अंतर्विष्ट है, लागू होंगे ।

भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम, इंटरनेट के माध्यम से भारतीय रेल कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के साथ अन्योन्यक्रिया की सुविधा ही प्रदान करता है । भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम इस साइट के माध्यम से किसी रेलगाड़ी सेवा या कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार नहीं है ।

11. इसके साक्ष्य स्वरूप, इसके उक्त पक्षकारों ने इसमें इसके पश्चात् क्रमशः दर्शित स्थान और तारीखों को अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

रेल यात्री सेवा अभिकर्ता/रेल यात्री सेवा अभिकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

समूह महाप्रबंधक/सूचना प्रोद्योगिकी
भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम, दिल्ली

टिप्पणः करार के प्रत्येक पृष्ठ पर रेल यात्री सेवा अभिकर्ता/रेल यात्री सेवा अभिकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टांप/मुद्रा आवश्यक है ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May 2014

S.O. 1219(E).— In exercise of the powers conferred by section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and in supersession of the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "agent" means a person authorised under rule 5 to act as a rail travellers' service agent to book reserved rail tickets through internet and shall include an employee of such person;

(b) "competent authority" means the Group General Manager (Internet Ticketing) of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited or any other officer authorised by such Group General Manager (Internet Ticketing) to discharge his functions under these rules;

(c) "Form" means a Form annexed to these rules;

(d) "licence" means a licence issued under rule 5;

(e) "location" means the area for which the agent has been appointed for booking of reserved rail tickets through internet.

3. **Conditions for appointment of agent.** — (1) A person who is —

(i) in possession of the latest income tax return and a valid Permanent Account Number card;

(ii) having properly maintained office premises with internet facility and infrastructure alongwith basic convenience and amenities in the city so as to accommodate the visit of customers;

(iii) not convicted in a criminal case involving moral turpitude;

(iv) in possession of a class three personal digital certificate issued by any Certification Agency appointed by the Controller of Certification Agencies under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) for its authorised user (only one authorised user shall be permitted),

may apply for issue of a licence under rule 5 to act as an agent.

(2) The applicant shall apply through online application available on the website of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited alongwith a onetime fee of twenty thousand rupees and the service tax, as applicable from time to time.

(3) If an applicant fails to deposit the fee along with application under sub-rule (2), his or her application shall be rejected.

(4) Subject to the provisions of rule 9, an agent who voluntarily decides to discontinue to act as an agent shall be refunded an amount of ten thousand rupees without interest, out of the amount of twenty thousand rupees referred to in sub-rule (2).

(5) The number of agents for each location shall be such, as may be determined by the competent authority.

4. **Existing agents to apply for fresh licence.**—

(1) A person who is in possession of a licence to act as an agent under the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, as amended from time to time, shall apply for grant of a fresh licence within a period of seven working days from the coming into force of these rules.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall, in addition to the requirements of rule 3, be also accompanied by a certificate issued by the concerned Zonal Railway to the effect that the applicant is an existing agent who was granted a licence under the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, before the commencement of these rules:

Provided that the licence fee paid by the existing agent shall be adjusted towards the fee required to be paid under sub-rule (2) of rule 3.

5. **Issue of licence.** – (1) An application for issue of a licence to act as an agent shall be made to the competent authority in Form I and for providing online integration.

(2) On receipt of the application, the competent authority after making such inquiry, if any, as it considers necessary, may issue the licence in Form II after execution of an agreement in Form III, authorising the applicant to act as an agent, or refuse to issue the licence for the reasons to be recorded in writing.

6. **Conditions for issue of licence.**– (1) The issue of licence under rule 5, shall be subject to the following conditions, namely:—

(i) the licence shall be valid for a period of one year from the date of its issue;

(ii) the licence shall be non-transferrable:

Provided that in case of death of an agent, the licence may be transferred to his or her legal heir on a request made in writing, for the unexpired period of licence, by the competent authority and the legal heir shall be eligible to apply for renewal of the said licence in accordance with the provisions of rule 8;

(iii) the agent shall conduct the business either himself or herself or through his or her employee approved by the competent authority for this purpose;

(iv) the agent shall not charge more than twenty rupees per ticket as service charges for securing reservation in classes other than second and sleeper classes, and ten rupees per ticket for the second and sleeper classes;

(v) the licence and the service charges shall be displayed by the agent at a conspicuous place of business;

(vi) the agent shall feed mobile number of the passenger while booking the ticket and the system will send a message indicating the detailed particulars of the ticket and the amount charged and in case the passenger does not have mobile number, a printout of approved Electronic Reservation Slip shall be taken out by such agent and handed over to the passenger;

(vii) the booking of ticket and securing of reservation by the agent shall be on a written request from his or her client and in case the agent acts on a telephone call, a written request shall be obtained by him or her from the client before delivering the Electronic Reservation Slip to the client;

(viii) a register indicating the name, gender, age, address and journey particulars together with ticket number of the client shall be maintained by the agent;

(ix) there shall be no canvassing for booking and reservation by the agent or any person on his or her behalf within the railway premises and within a distance of hundred metres from the railway reservation office and the agent or any person on his or her behalf shall not book tickets at Railway reservation counters for their customers;

(x) the competent authority or an officer authorised by him or her shall be allowed access to the premises and records, any time during the working hours by the agent who shall render all necessary assistance for inspection; and

(xi) the competent authority shall specify the general working conditions within the framework of these rules.

(2) The agent shall opt for one of the options for online payment available on the website of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited.

7. **Suspension or cancellation of the licence.**— (1) Without prejudice to any other provisions under these rules, the competent authority may suspend or cancel at any time the licence after giving due notice for violation of or for ceasing to fulfill any of the conditions specified under these rules or for any such reasons which appear to the competent authority as expedient in the public interest, and in case of suspension of licence, the login identity of the agent shall be deactivated:

Provided that no action under this rule shall be taken unless an opportunity of being heard is given to the agent.

(2) Any contravention of these rules shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees for each contravention, and in addition, the agent may be blacklisted and shall be liable for punishment under the provisions of the Railways Act, 1989 (24 of 1989).

8. **Renewal of licence.**— A licence shall, unless the competent authority for reasons to be recorded in writing otherwise decides, be renewable for one year at a time on payment of annual renewal fee of five thousand rupees and the service tax as applicable and the provisions of rule 5 shall apply to the renewal of licence as they apply to the grant thereof.

9. **Utilisation of deposit.**— Where the agent fails to perform the service for his or her client and refuses to refund the amount charged by him or her, the competent authority shall in addition to any other action taken under these rules, utilise the amount of ten thousand rupees referred to in sub-rule (4) of rule 3 for refund of the amount charged by the agent from his or her clients.

10. **Appeal.** — (1) An appeal shall lie against every order of the competent authority made under these rules to the Managing Director of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited.

(2) The appeal under sub-rule (1) shall be preferred within a period of thirty days from the date on which the order appealed against is communicated to the appellant.

11. **Liability of Railways.**— The Railway administration or Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited shall not be liable for any loss or damage suffered or likely to be suffered by a client on account of any act or omission of the agent.

[F. No. 2004/TG-I/23/P/Review (Pt.)]

A. MADHUKUMAR REDDY, Executive Director Passenger Marketing,

Railway Board

Form I

[See rule 5(1)]

Application to be filled by agents for issue of licence through www.irctc.co.in. [To be submitted in Hard Copy and Soft Copy] * Mandatory	
Individual/Firm/Company Name *	
	Person Representing Firm/Company
First Name *	
Middle Name	
Last Name *	
Date Of Birth *	
Office Address *	
City *	
State *	
Pincode *	
Country*	
Phone Number*	
Mobile Number	
Fax Number	
Email Id *	
Contract Begin Date*	
Contract End Date*	
Demand Draft No.	
Date of issue	
Drawn on the Bank	
User Name as in the Digital Certificate*	
Certification Authority Name*	
Digital Certificate Serial Number*	

Date :

Place :

Signature of the Applicant/
person representing Firm Company

Form II

[See rule 5(2)]

Licence to act as rail travellers' service agent (RTSA)

No:.......... **Date of Issue.....................**

This is to certify that Mr./Ms./M/s ...., owned by.................................located at ...., Contact no..............................,email:...,is hereby authorised to act as rail travellers' service agent (RTSA) under the Authorisation of Rail Travelers' Service Agents Rules, 2014 to book reserved rail tickets through internet as per IRCTC terms and conditions using .... through IRCTC website www.irctc.co.in for the general public from.................to.........................

For Group General Manager/IT
IRCTC

1907 GI/14-4

Form III
[See rule 5 (2)]

Signed photo of RTSA or authorised signatory of RTSA along with name of signatory

Agreement to be signed by the rail travellers' service agent (RTSA) or his or her authorised signatory (specifying his or her status or authority for signing the agreement) on stamp paper of Rs. 100/- purchased from Delhi.

An agreement made this .... day of ...., 20........ at New Delhi between the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC), having its registered office at 9th Floor, Bank of Baroda Building, 16, Parliament Street, New Delhi- 110001 and one of its office at Internet Ticketing Center, State Entry Road, New Delhi- 110055 through Group General Manager/ Internet Ticketing, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (hereinafter called the first party) which expression shall where the context so admits include its successor and assigns.

And

Mr./Ms./M/s .... through ....(name and designation) office ____________________ (hereinafter called the second party) which term shall mean and include their successor, legal representatives and assigns.

In consideration of IRCTC, granting the licence for booking of reserved rail tickets through IRCTC website, for a period of one year commencing from.......... to ...., this agreement is made.

The second party____

agrees to function as rail travellers' service agent (RTSA) in accordance with the following terms and conditions:-

1. **Governing provisions**

The IRCTC shall provide the facility for transacting with Indian Railway's computerised Passenger Reservation System (PRS) through the internet. The instructions and guidelines of the Indian Railways for reservation and booking of tickets shall apply to all such transactions along with special conditions imposed for internet based booking from time to time. The special conditions and the terms of service applicable to internet booking are detailed in this agreement.

1.1. IRCTC's performance of this agreement is subject to the laws for the time being in force, and nothing contained in this agreement is in derogation of IRCTC's right to comply with law enforcement requests, or requirements relating to use of this website by RTSA or information provided to by RTSA or gathered by IRCTC with respect to such use including the customers. IRCTC may provide details of use of the website by RTSA to regulators or police or to any other third party, or in order to resolve disputes or complaints.

1.2. If any part of the agreement between IRCTC and RTSA is determined to be invalid or unenforceable pursuant to any law for the time being in force including, but not limited to, the warranty disclaimers and liability limitations set forth herein, then the invalid or unenforceable provision shall be deemed superseded and the remainder of the agreement shall continue in effect.

1.3. This agreement constitutes the entire agreement between RTSA and IRCTC and it supersedes all previous or contemporaneous communications and proposals, whether electronic, oral, or written, between the RTSA and IRCTC.

1.4. That terms and conditions of service applicable on booking of tickets through IRCTC website apply mutatis mutandi on the tickets booked by RTSA's log-in.

1.5. The RTSA shall comply with the terms and conditions for using IRCTC's website for booking tickets. RTSA shall pay a onetime fee of twenty thousand rupees to IRCTC, out of which ten thousand rupees shall be refundable if RTSA voluntarily withdraws from the arrangement with IRCTC. Annual renewal charges for the licence shall be five thousand rupees.

2. **Standard and scope of service:** IRCTC will supply the service to RTSA with reasonable care and skill subject to all other risks or error and liability, limitation clauses would remain effective.

2.1. IRCTC makes no guarantee that any service will be uninterrupted, timely, secure or error free.

2. The RTSA shall be required to obtain a class three personal digital certificate issued by any Indian Certifying Authority for its authorised users (only one authorised user shall be permitted).

3.1. When the RTSA logs in, the IRCTC application will authenticate the digital certificate, and if authorised, will allow him or her to book without applying any restriction on number of tickets as applicable to normal users.

3. **Obligations of RTSA and their customers**

4.1. General obligations: RTSA shall access the website only for lawful purposes and shall be responsible for complying with the laws for the time being in force in connection with the use of IRCTC website. RTSA shall not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works form, transfer or sell any information, products or services obtained from this website. RTSA shall not create a hypertext to the website or frame the website, except with the prior written permission of IRCTC.

4.2. The information RTSA provides in the registration page must be complete and accurate. IRCTC reserves the right at all times to disclose any information as IRCTC deemed necessary to comply with any law for the time being in force, legal process, or Government request.

4.3. The RTSA will book the tickets as per the normal flow, and will give the shipping address desired by the end customer (one of the passenger on the ticket) in case of 'i-ticket' or the identity card details of any traveler in case of tatkal 'e-ticket'. 'I-ticket' will be delivered to the delivery address desired by the customer and given by the RTSA while booking of the ticket. RTSA shall issue receipt for money taken by him from the customer on his own printed stationery. Service charge and service tax as applicable shall be shown separately in the receipt issued by the RTSA. This receipt shall be preserved by the customer to claim refund from RTSA, if it becomes necessary.

Once the tickets have been delivered at the shipping address given by RTSA, the IRCTC shall be absolved of any responsibility. If the address is wrong or incomplete or for any other reason, the ticket does not reach the end consumer, it shall be the responsibility of RTSA.

4.4. It shall be obligatory on the part of RTSA to impose similar procedure, terms and conditions on all its customers, as IRCTC follows with its customers, on its website, except that there shall be no restriction on number of tickets booked by RTSA as applicable to normal users.

4.5. Payment by RTSA to IRCTC for booking tickets online will be made online, using available options on the website of IRCTC like Credit Card, Direct Debit using Internet Banking, Cash Card, etc.

4.6 If the RTSA indulges in any illegal activity like (but not restricted to) collection of excess charges, alteration of fares on the tickets, issue of duplicate ticket etc., then the RTSA shall be liable for penal action under rule 7 of the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014 in addition to action under any other law for the time being in force.

4.7 Disclaimer: Indian Railway and IRCTC are not responsible for wrong booking due to incorrect detail or details furnished by the RTSA.

5 **Cancellation or refund or modification of tickets**

5.1. For I-tickets cancelled by the customers through the counters, the amount due will be credited back to the account used for online booking. The RTSA will be responsible for refund to the customers. The cancellation ticket issued to the customers from counters shall be used to claim refund from RTSA. For non-compliance in this regard, RTSA's licence may be cancelled.

5.2. For cases where the I-tickets were surrendered by customers at stations after the cancellation timings and Ticket Deposit Receipt (TDR) obtained, the customers will have to apply for refund to IRCTC along with TDR. IRCTC in turn will take up the matter with the concerned zonal Railways.

5.3. The RTSA is duty bound to refund the amount due to the customer who booked the ticket after making payment to RTSA and later got it cancelled.

5.4. If RTSA fails to refund the amount due to the customer, his or her licence may be cancelled. This shall be without prejudice to any other action to which RTSA shall be liable under any law for the time being in force.

6 **Privity of contract:**

RTSA will book tickets for its customers with IRCTC with clear understanding that:

6.1. There is no privity of contract of IRCTC or Indian Railways with the customer of RTSA in the matter of booking, cancellation or in relation to any payment or refund for any booking of the tickets.

6.2. The customer of RTSA will make all its claims of whatever nature only against RTSA and not against IRCTC or Railways.

6.3. There will be no additional or exceptional liability of IRCTC or Indian Railways in respect of tickets booked by RTSA except the normal refund due on cancellation of tickets.

1907 GI/14-5

7. **Liability**

7.1. Limitation of liability: IRCTC shall not be liable to RTSA save as expressly provided in this agreement and shall have no other obligations, duties or liabilities whatsoever in contract, tort or otherwise arising out of the use of online booking or connection to the website, IRCTC hereby disclaims all warranties, terms and conditions with regard to this information, products and services including all implied warranties, terms and conditions under any law for the time being in force, collaterally or otherwise of satisfactory quality or fitness, title and in no event, shall IRCTC be liable for any loss of profit, loss of revenue, wasted time, wasted costs, indirect, incidental, special or consequential loss arising out of or in any way connected with the use of the online booking facility through website or otherwise or with the delay or inability to use online booking facility of IRCTC or for any information, products and services whether based on contract, tort, strict liability or otherwise.

7.2. Accuracy of information: IRCTC shall make endeavors to check the accuracy of the information published online or through website of IRCTC. IRCTC gives no warranty as to the accuracy of such information given on its website and reserves the right to amend and vary the contents of their website from time to time without notice. The IRCTC sites or services may contain links to third party websites (linked sites). The linked sites are not under the control of IRCTC and IRCTC is not responsible for the contents of any linked sites, including without limitation any link contained in a linked site, or any changes or updates to a linked site. IRCTC is not responsible for web casting or any other form of transmission received from any linked site nor is IRCTC responsible if the linked site is not working appropriately. IRCTC is providing these links only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by IRCTC of the site or any association with its operators. RTSA are responsible for viewing and abiding by the privacy statements and terms of use posted at the linked sites.

7.3. Any transaction of the RTSA with third parties including advertisers on the website of IRCTC, participation in promotions, including the delivery of and the payment for advertised products and services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings or promotions, shall be exclusively between RTSA and advertiser or other third party. IRCTC shall not be responsible or liable for any such dealings or promotions.

7.4. **Maximum liability:** The maximum amount of IRCTC liability to RTSA for all loss or damage arising out of online booking through website and the service whether in contract or tort (including any liability for negligence howsoever arising out of or in connection with the performance of IRCTC's obligations in the provision of the website and this service) shall be limited to the value of the ticket purchased through use of this service.

7.5. **Exclusion of liability:** IRCTC shall not be liable to RTSA for any of the following types of loss or damage arising out of use of website and the service whether in contract or tort (including any liability for negligence howsoever arising out of or in connection with the performance of IRCTC obligations in the provision of the website and this service):-

(1) loss of revenue, business, anticipated savings or profits; or

(2) any indirect or consequential loss howsoever arising.

7.6. **Exclusion of other warranties or remedies:** RTSA acknowledges and agrees that in entering into this agreement, he or she does not rely on and shall have no remedy in respect of any statement, representation or warranty given by any person (including as to condition, quality and fitness). All warranties implied by any law for the time being in force, custom or otherwise as to the standard of the service and the accuracy of any information (other than fraudulent misrepresentation) provided on IRCTC website are hereby excluded.

7.7. **Force majeure:** IRCTC shall not be liable in respect of any delay in performance of these terms and conditions or delay in performance or breach of these terms and conditions due to any event or circumstance beyond the control of IRCTC.

8. **Service hours:** Booking through internet is allowed form 0030 hours to 2330 hours (Indian Standard Time) on all days including Sundays. Service hours are liable to be changed without prior notice. Agent booking hours are as per the orders of the Ministry of Railways.

8.1. **Opening day ($) booking (— days in advance, excluding the date of journey)** will be available only at ------ hours on internet as well as at the computerised Passenger Reservation System (PRS) counters. If RTSA tries booking before ------ hours, for opening day tickets, the reservation will fail, with RTSA's account getting debited; IRCTC will refund the entire fare and IRCTC's service charges, but the bank or card transaction charges may be charged by the concerned bank.

8.2. **Opening day ($) means** — ......days in advance of the date of journey (journey date not to be included) from train originating station. In case of some intercity day trains, the Advance Reservation Period (ARP) is less than — days. For Tatkal booking, opening day means — day from date of journey subject to restriction, if any, imposed by the Ministry of Railways from time to time.

9. **General Provisions**

9.1. This agreement and RTSA's use of the online booking though IRCTCs web site shall be governed by the laws for the time being in force. The RTSA hereby irrevocably consents to the exclusive jurisdiction and venue of courts in Delhi only, in all disputes arising out of or relating to the use of the IRCTC sites or services. Use of the IRCTC sites or services is unauthorised in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of these terms and conditions.

9.2. Entire agreement: This agreement including any document referred to herein constitutes the entire agreement between the parties to this agreement in respect of RTSA's use of this service.

9.3. Third party rights: Nothing in this agreement shall be taken as granting any rights expressly or impliedly whether contractual or statutory to persons other than the parties to this agreement.

9.4. No claim shall be preferred by RTSA in any court or tribunal without giving sixty days notice in the nature of section 80 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), to the IRCTC.

9.5. In case of any dispute, it shall be compulsory for the RTSA to first submit to the arbitration of a sole arbitrator not below the rank of General Manager of IRCTC to be nominated by Managing Director of IRCTC after a request is made in writing by the RTSA or IRCTC. The decision of the arbitrator shall be binding on both the parties. The language of the arbitration shall be English and the venue of arbitration shall be Delhi only.

9.6. If any customer of RTSA institutes any proceedings against IRCTC, the RTSA shall be liable to make good all the loss occurring to IRCTC including the cost of defending the proceedings.

9.7. On expiry of the licence of RTSA, the access provided to RTSA shall be deactivated by IRCTC unless the licence is renewed by IRCTC.

9.8. Below is the table of the maximum charges to be levied on a customer for each ticket. These charges are as fixed by Indian Railways and are liable to change without notice at any point of time.

TABLE

IRCTC service charge		Agents service charge (Inclusive of service tax)		Total (IRCTC + Agents)	
Second and sleeper classes	Other than second and sleeper classes	Second and sleeper classes	Other than second and sleeper classes	Second and sleeper classes	Other than second and sleeper classes
Rs.10/-	Rs.20/-	Rs.10/-	Rs.20/-	Rs.20/-	Rs.40/-

The above charges are inclusive of service tax. Service tax as applicable shall be shown separately in the receipt issued by the RTSA.

10. **Exclusion of liability for cancellation of trains:** In case of cancellation or diversion or termination short of destination of trains, the rules made under the Railways Act, 1989 (24 of 1989) containing limitations and exclusions relating to the liability of the Indian Railways to the customers in respect of loss or damage caused by delay or diversion or termination short of destination or cancellation or both of any train, any missed connection, or closure of the railway shall apply.

The IRCTC provides only the facility of interacting with the Indian Railway's computerised Passenger Reservation System (PRS) through the internet. The IRCTC is not responsible for providing train services or any other service through this site.

11. In witness whereof, the said parties hereto have set their hands at the place and on the dates respectively shown hereinafter.

RTSA/Authorised signatory of RTSA

GGM/IT
IRCTC, Delhi

Note : Signature of the RTSA/Authorised signatory of RTSA and the stamp/seal on each page of agreement is essential.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2014/TG-I/23/RTSA/Court Case Date: 21.04.2016

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 21 OF 2016)

Sub: Amendment in RTSA Rules.

Please refer to this office letter of even number dated 20.05.2014 forwarding therewith a copy of Authorisation of RTSA Rules, 2014. These rules were challenged in Hon'ble Supreme Court and based on the judgment dated 07.09.2015 passed by Hon'ble Supreme Court, the representations of RTSAs were examined and certain amendments have been made in the Authorisation of RTSA Rules, 2014 vide S.O.1426(E) dated 13.04.2016, a copy of which is enclosed.

1.1 IRCTC will make necessary modifications accordingly to implement revised provisions of RTSA Rules, 2014.

2. It has also been decided that all other e-ticketing agents authorised by IRCTC for issuing of e-tickets shall also realise service charges prescribed for RTSAs i.e. @ ₹20/- per ticket for Sleeper and 2S classes and ₹40/- per ticket for all other classes.

2.1 Further, all authorised ticketing agents including RTSAs, e-ticketing agents and also YTSKs should be allowed to book tickets in Suvidha trains without any restrictions.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2014/TG-I/23/RTSA/Court Case New Delhi, dated 21.04.2016

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

21.4.16.
for Financial Commissioner, Railways

Dell/Diary documents/LETTER/letter_2016

--2/--

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C), TC-II & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं. 2014/टीजी-I/23/आरटीएसए/कोर्ट केस नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21)

विषय: आरटीएसए नियमों में संशोधन।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 20.05.2014 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके साथ आरटीएसए नियम, 2014 के प्राधिकार की प्रतिलिपि अग्रेषित की गई है। इन नियमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और दिनांक 07.09.2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर आरटीएसए के अभ्यावेदनों की जांच की गई और दिनांक 13.04.2016 के एस.ओ.1426(ई) के तहत आरटीएसए नियम, 2014 के प्राधिकार में कुछ आशोधन किए गए हैं, जिनकी प्रति इसके साथ संलग्न की गई है।

1.1 तदनुसार, आईआरसीटीसी, आरटीएसए नियम, 2014 के संशोधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए इसमें आवश्यक आशोधन करेगा।

2. यह भी विनिश्चिय किया गया है कि ई-टिकटों को जारी करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा प्राधिकृत सभी अन्य ई-टिकटिंग एजेंट, आरटीएसए के लिए निर्धारित सेवा-प्रभार अर्थात् स्लीपर तथा 2एस श्रेणी के लिए प्रति टिकट 20/- रुपए की दर से और सभी अन्य श्रेणियों के लिए प्रति टिकट 40/- रुपए की दर से सेवा प्रभारों, को वसूल करेंगे।

2.1 इसके आगे, आरटीएसए, ई-टिकटिंग एजेंट और वाईटीएसके सहित सभी प्राधिकृत टिकट एजेंटों को बिना किसी प्रतिबंध के सुविधा गाड़ियों में टिकट बुक करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

Sd/-
(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्यिक (जी)
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/आरटीएसए/कोर्ट केस   नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2016

प्रतिलिपि अग्रेषित

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

Sd/-
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी), टीसी-।। तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) एम डी/आई आर सी टी सी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ 226011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

******

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2016/चैत्र 24, 1938
No. 916] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/CHAITRA 24, 1938

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

का.आ.1426(अ).- केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकार नियम, 2014 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 2014 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 4 में, उप-नियम(1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) कोई व्यक्ति जो इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 के अधीन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति रखता है, उसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इन नियमों के अधीन 30 जून, 2016 को अथवा उससे पूर्व आवेदन करना होगा।"

3. उक्त नियम में, नियम 6 में, उप-नियम(1)में,-

(क) मद (i) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (iii) में, "इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) मद (iv) में, "बीस रुपये" तथा "दस रुपये" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "चालीस रुपये" तथा "बीस रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) मद (xi) के पश्चात् , निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) अभिकर्ता आई-टिकट बुक कराने तथा उसे भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम, नई दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के माध्यम से संग्रह करने का हकदार होगा।"

4. उक्त नियम के, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" अनुज्ञप्ति का नवीकरण – कोई अनुज्ञप्ति जब तक सक्षम प्राधिकारी, कारणों को जब तक लेखबद्ध नहीं करता, अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, अनुज्ञप्ति दस हजार रुपये की वार्षिक नवीकरण फीस और यथा लागू सेवा कर के भुगतान पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत होगा, तथा अनुज्ञप्ति नवीकरण के नियम 5 के उपबंध लागू होंगे, जो कि अनुज्ञप्ति जारी करने में लागू होते हैं।"

[सं. 2014/टीजी-I/23/आरटीएसए/कोर्ट केस]

बी.प्रशांत कुमार,कार्यकारी निदेशक यात्री विपणन

पाद टिप्पण: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, का.आ.1219(अ), तारीख 7 मई, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O.1426(E)- In exercise of the powers conferred by section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Amendment) Rules, 2016.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(1) A person who was in possession of a licence to act as an agent under the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, prior to the coming into force of these rules shall make an application under these rules for grant of licence to him to act as an agent on or before the 30th day of June, 2016.".

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule(1),-

   (a) in item (i), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted;

   (b) in item (iii), the words "approved by the competent authority for this purpose" shall be omitted;

   (c) in item (iv), for the words "twenty rupees" and "ten rupees", the words "forty rupees" and "twenty rupees" shall respectively be substituted;

   (d) after item (xi), the following item shall be inserted, namely:-

   "(xii) the agent shall be entitled to book i-ticket and collect the same through the Information Technology Centre of Indian Railway Catering and Tourism Corporation, New Delhi.".

4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

   "8. Renewal of licence.- A licence shall, unless the competent authority, for reasons to be recorded in writing, otherwise decides, be renewable for a period of three years on payment of annual renewal fee of ten thousand rupees and the service tax as applicable, and the provisions of rule 5 shall apply to the renewal of licence also, as they apply to issue of licence.".

[No.2014/TG-I/23/RTSA/Court Case]

B. PRASHANTH KUMAR, Executive Director Passenger Marketing

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S. O. 1219(E), dated the 7th May, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(1) रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2963] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938
No. 2963] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4055 (अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 2014 में आगे और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकार (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये 13 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकार नियम, 2014 में, नियम 8 में, शब्द "वार्षिक" का लोप किया जाता है।

[2014/टीजी-I/23/आरटीएसए/कोर्ट केस]

बी.प्रशांत कुमार, कार्यपालक निदेशक, यात्री विपणन,

व्याख्यात्मक ज्ञापन:- वार्षिक से तीन वर्षीय आधार पर लाइसेंस के नवीकरण के लिए लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति में बदलाव के लिए 13 अप्रैल, 2016 के अधिसूचना संख्या का.आ.1426 (अ) द्वारा रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 2014 के नियम 8 में संशोधन करते समय भूलवश शब्द "वार्षिक" लिखा गया था. अतः इसका

13 अप्रैल, 2016 से अर्थात् पूर्वव्यापी प्रभाव से लोप किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए उपर्युक्त संशोधन द्वारा कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे तथा इससे कोई रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

टिप्पणः मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना सं. का.आ.1219(अ), तारीख 7 मई, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुसार का.आ. 1426 (अ), तारीख 13 अप्रैल , 2016 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15 December, 2016

S.O. 4055(E).—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Second Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 13th day of April, 2016.

2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014, in rule 8, the word "annual" shall be omitted.

[2014/TG-I/23/RTSA/Court Case]

B. PRASHANTH KUMAR, Executive Director Passenger Marketing.

Explanatory Memorandum- While amending Rule 8 of the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014 vide notification number S.O. 1426(E), dated the 13th April, 2016, for changing realisation of licence fee for renewal of licence from annual basis to three years basis, inadvertently the word 'annual' was indicated. Hence it is being omitted with effect from the 13th April, 2016, i.e. with retrospective effect. It is certified that none shall be adversely affected by the aforesaid amendment being given retrospective effect and it is not going to affect adversely any Rail Travellers' Service Agent.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O.1219(E), dated the 7th May, 2014 and subsequently amended vide S.O.1426 (E), dated the 13th April, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.